

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय भवन, टावर-1(प्रथम तल) गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226002

पत्र संख्या: प्रनि-प-90-2022/4740

दिनांक: फरवरी 9, 2023

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।

विषय:-सीधी भर्ती-2020-21 के अन्तर्गत **प्लाटून कमाण्डर** के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्र संख्या- संख्या-पीएसी-1-216-2019 दिनांक 30.01.2023

कृपया उपरोक्त विषयक पीएसी मुख्यालय के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **452 प्लाटून कमाण्डर** को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान एवं तिथि नियत करते पीएसी मुख्यालय को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के उक्त पत्र द्वारा प्राप्त संख्यात्मक विवरण के आधार पर **452 प्लाटून कमाण्डर** को सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

3- चयनित अभ्यर्थियों को "Join" करने से पूर्व **"सामान्य दिशा-निर्देश"(Joining Instructions)** इस पत्र के साथ **(परिशिष्ट-1)** संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है ताकि उन्हें ससमय उपलब्ध करा दिया जाय।

4- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति से संबंधी पत्रावली आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को समय से अवश्य उपलब्ध करा दी जाये ताकि अभ्यर्थियों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र का सत्यापन हो सके।

5- अतः अपेक्षानुसार आवंटन प्रस्ताव प्रेषित है। कृपया अभ्यर्थियों को **निर्दिष्ट दिनांक** से सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में अपना आगमन करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-परिशिष्ट-1

Smriti
2.2.23.

पुलिस महानिदेशक/अ0पु0म0, प्रशिक्षण
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- कृपया निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित-

1-प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश।

2-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि तिथि निर्धारित कर सर्वसंबंधित को सूचित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उत्तर प्रदेश।
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- अपर पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्लाटून कमाण्डर का आधारभूत प्रशिक्षण सम्पन्न कराये जाने के संबंध में अभ्यर्थियों के सुदृढ प्रशिक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टिगत बैरक, क्लासरूम, मैस व्यवस्था, शौचालय एवं स्नानागार की पर्याप्त व्यवस्था के संबंध में अपने संस्थान का स्वयं भ्रमण कर समस्त तैयारियाँ सुनिश्चित कर लें ताकि प्रशिक्षण सुचारू रूप से सम्पादित हो सके एवं किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो सके तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता उच्चकोटि की रहे। प्रशिक्षण हेतु आगमन करने वाले अभ्यर्थियों का आमद से पूर्व त्रुटि रहित सत्यापन अवश्य सुनिश्चित करें।

सम्पर्क सूत्र

नियंत्रण कक्ष - दूरभाष नम्बर	1-0522 2724035
- सीयूजी नम्बर	2-9454402534
- फ़ैक्स नम्बर	3-0522 2724034
- व्हाट्सएप नम्बर	4-9454402534
- ई-मेल	5-training@up.nic.in

कंट्रोलरूम प्रभारी :-

1-सै0 सरदार इबने हसन रिजवी, पुलिस उपाधीक्षक	-9454400455
2-श्री मनोज कुमार सिंह, निरीक्षक ना0पु0	-7651903685
3-श्री बी0बी0 सिंह, निरीक्षक ना0पु0	-7905794327

नोट- व्हाट्स एप नम्बर 9454402534 पर किसी भी प्रकार का पत्राचार न किया जाये। पत्राचार डाक/फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये। केवल महत्वपूर्ण, तात्कालिक सूचना ही व्हाट्स एप नम्बर पर प्रेषित की जाये।

Joining Instructions

**** प्लाटून कमाण्डर अभ्यर्थियों के आगमन करने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश ****

1-अभ्यर्थी अपने साथ नियुक्ति पत्र, आधारकार्ड व 01 अन्य आईडी तथा अन्य प्रमाण पत्रों की मूलप्रति एवं पर्याप्त संख्या में (न्यूनतम 06) पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आयेगें।

2-अभ्यर्थी अपने साथ मैस एडवांस रू० 6000/- एवं मौसम के अनुसार बिस्तर एवं कपड़े मच्छरदानी साथ लेकर आयेगें।

3-अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में आगमन करने से पूर्व मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

4-प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने साथ कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम एवं डबल डोज संबंधी प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी यथासम्भव बूस्टर डोज लगवाकर प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होंगे।

5-प्रत्येक अभ्यर्थी कोविड टेस्ट की Latest Report (विगत 72 घंटे की) लेकर आयेगें।

6-कोविड से संक्रमित पाये जाने पर उत्तर प्रदेश शासन/मुख्यालय पुलिस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।